

41

540 & 541  
22/7/15

सेवा में,  
निदेशांक / प्रथम अपील की अधिकाारी  
राज्यीय शर्करा संस्था कल्यानपुर जानपुर (2005)

राजीव दूबे कृत ध्यान चन्द्र दूबे निवासी ग्राम भोपीनाथ पुर पो. वा.  
बस्वा उत्तरी परगना बूढ़ा तहसील बस्वा जिला सलतानपुर  
--- प्रथमपक्ष

वनाम  
जन सूचना अधिकाारी श्री राकेश शर्मा <sup>वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी</sup> राज्यीय शर्करा संस्था कल्यानपुर  
जानपुर विपक्षी

विषय :- प्रथम अपील को धारा 19(1) जन सू. अधि.  
अधिनियम 2005  
प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक  
5.6.015 को विपक्षी से सूचना मांगी गयी थी  
सूचना नहीं दिये जाने के विरुद्ध अपील

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी से जरिये डाक  
दिनांकित 5.6.015 को चार बिन्दुओं के बाबत सूचना मांगी गयी किन्तु  
विपक्षी द्वारा आज तक कोई सूचना व निर्देश नहीं दिया गया जिससे  
कुछां होकर प्रार्थी विपक्षी के विरुद्ध उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है।

अतः श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थनापत्र  
के साथ लगभग प्रार्थनापत्र दिनांकित 5.6.015 में उल्लिखित बिन्दुओं  
के बाबत जति शीघ्र सूचना दिलायी जावे तथा विपक्षी को जन सूचना  
अधिकाार अधिनियम 2005 के तहत बर्खास्त से दण्डित क्रिय जाने  
की कृपा की जावे।

संलग्नक - प्रार्थनापत्र दिनांकित 5.6.015

- 1. को फोटो प्रति
- 2. रजिस्ट्री रसीद की फोटो प्रति
- 3. पोस्टल आडर की फोटो प्रति

प्रार्थी  
*Rajesh Dubey*  
राजीव दूबे कृत श्री ध्यान चन्द्र दूबे  
ग्राम - भोपीनाथपुर,  
पो. वा. बस्वा उत्तरी  
जिला सलतानपुर  
दि 22.7.015

RTI MATTER/BY SPEED POST

सं.25(52)/2014/RTI/Vol-VI

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान

ISO 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

कानपुर - 208017।

फोन : 0512-2570542, 543

फैक्स : 0512-2570247

ई मेल : nsikanpur@nic.in

दिनांक: 05-08-2015

11-8-15

सेवा में,

श्री राजीव दूबे सुनः श्री ध्यान चन्द्र दूबे

नि० ग्राम - गोपीनाथपुर

पी० आ० - बरभंग उत्तरी

जनापद - सुल्तानपुर (उ० प्र०)

जारी

संख्या 360

दिनांक 11/08/15

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम-२००५ के तहत प्रथम अपील।

महोदय,

यह आदेश आपके दिनांक २२.०७.२०१५ की प्रथम अपील के संदर्भ में है, जिसमें आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के तहत किये गये अपने दिनांक ०५.०६.२०१५ के उत्तर/सूचना के विषय में की है। इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन का उत्तर/सूचना संस्था के केंद्रीय जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक ०८.०७.२०१५ के माध्यम से भेजा जा चुका है, जो कि गिनानुसार है:-

बिंदु सं. १ के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि सी.सी.एस. (सी.सी.ए.) क्लस का अधिपत्य सेंट्रल सिविल सर्विसेज (कल.सिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) क्लस, १९६५ से है, जिसके अंतर्गत किसी भी केंद्रीय कर्मचारी का आचरण नियमित किया जाता है। इन क्लस को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी के आचरण को नियमित करने के लिए जारी किये गए हैं।

बिंदु सं. २ के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि डिरेक्टर, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर विभागाध्यक्ष है, संस्था खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय का सर्वोच्च कार्यालय है। ऊपर उच्चाधिकारी संयुक्त सचिव (शर्करा एवं शर्करा प्रशासन), खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - ११०००१ है।

बिंदु सं. ४ के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि संस्था के सभी कर्मचारियों के वेबसाइट पर सूचना संस्था के वेबसाइट पर सूचना का अधिकार के अंतर्गत mandatory disclosure में उपलब्ध है, एवं वेबसाइट का link [http://nsi.gov.in/rtiact\\_2005.htm](http://nsi.gov.in/rtiact_2005.htm) है (प्रतिलिपि संलग्न है)।

बिंदु सं. ३ और ४ के उल्लिखित अंश के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि भंगी गई जानकारी में सूचना की व्याख्या की अपेक्षा है जो जनसूचना अधिकार की परिभाषा में नहीं आती। इसके अलावा आपके द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संदर्भ में यह पुनः सूचित किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्रदान करें जिसमें निष्कर्ष अथवा अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना


करने की अथवा आवेदक द्वारा स्वयं समस्याओं का समाधान करने की अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता हो।

यह आदेश कानपुर में दिनांक 05.04.2019 को दिया गया है।

यदि आप इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप दूसरी अपील इस निर्णय की तिथि या इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर निम्न पते पर केन्द्रीय सूचना आयोग में कर सकते हैं:-

केन्द्रीय सूचना आयोग,  
कमरा नं० 326, द्वितीय तल,  
अमला कान्ति भवन,  
भीकाजी काभा प्लेस,  
नई दिल्ली 110066।

भवदीय,



(नरेंद्र मोहन)

निदेशक एवं  
अपीलीय अधिकारी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।